चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : प0नि0/II/1034 दिनांक : 05.09.2026

विज्ञप्ति

पत्र संख्या–आर0ओ0/1504 दिनांक 25.8.2026, पत्र संख्या प0नि/II/1021 दिनांक 27.08.2026, पत्र संख्या प0नि0/II/1024 दिनांक 30.08.2026, पत्र संख्या प0नि0/II/1031 दिनांक 01.09.2026 एवं पत्र संख्या प0नि0/II/1033 दिनांक 04.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करें जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय की वर्ष 2026 में स्नातक उत्तीर्ण टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

बार–बार सूचित करने के पश्चात भी कुछ छात्राओं ने कोई भी अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध नही कराया है तथा कुछ छात्राओ के एक या एक से अधिक अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनका पोर्टल पर पंजीकरण नही हो पाया है।

ऐसी छात्रायें जिन्होने अभिलेख उपलब्ध नही करायें है की सूची संलग्न है। उक्त छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि सोमवार दिनांक 07.09.2026 तक अपने समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें विश्वविद्यालय को भौतिक रूप से अथवा ईमेल आई डी scooty@ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ईमल के subject में अपना क्रम संख्या एवं नाम अवश्य लिखें।

इसके अतिरिक्त ऐसी छात्राऐं जिन्होने समस्त अभिलेख जमा करा दिये हैं, आधार से सम्बंधित ओ0टी0पी0. सत्यापित कराने हेतु दिनांक 07.09.2026 को विश्वविद्यालय परिसर स्थित कम्प्यूटर केन्द्र पर अपने आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाईल फोन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पंजीकरण की अन्तिम तिथि किसी भी समय घोषित की जा सकती है इसलिये ऐसी छात्राऐं जिनके अभिलेख प्राप्त ना होने अथवा ओ0.टी0पी0 सत्यापित ना होने के कारण स्कूटी योजना हेतु पंजीकरण नही हो पाता है की समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित छात्रा की होगी।

80 प्रतिशत दिव्यांग, शहीद परिवार एंव निराश्रित छात्रायें जिन्होने 2026 में स्नातक में 66.00 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं किन्तु विश्वविद्यालय की सूची में जिनका नाम नही है, भी उक्त स्कूटी योजना हेतु अपने अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता/शहीद परिवार/निराश्रित प्रामण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

ऐसी छात्रायें जिनके परिवार की आय 12 लाख से अधिक है अथवा उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी नही है, स्कूटी योजना हेतु पात्र नही हैं।

अभिलेख जो प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं :–

1- APAAR ID
2- Date Of Birth
3- Mobile No (जो आधार से लिंक हो)
4- Category
5- Latest Domicile Application No.(Issued by E-District Portal)
6- Latest Domicile ID (Issued by E-District Portal)
7- Latest Income Application No.(Issued by E-District Portal)
8- Latest Income Certificate Id (Issued by E-District Portal)
9- Graduation Marksheets (All Semester)
10- Adhar Card

संलग्नकः– यथोपरि

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1– वैयक्तिक सहायक कुलपति को, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2– वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को, कुलसचिव के सूचनार्थ।
3– समस्त सम्बन्धित प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में वर्णित अपने महाविद्यालय/विभाग से सम्बन्धित छात्राओं को उपर्युक्त विज्ञप्ति से व्यापक रूप से अवगत कराते हुये छात्राओं के अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
4– प्रेस प्रवक्ता, को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5–प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/05/09

उप–कुलसचिव